



Case No. 95/2025

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

(Summons)

फाइल सं.: NCST/DEV-3313/JH/142/2024-RO-RNC-RU-IV

श्री हर्ष पाल सिंह
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
जिला राँची
कार्यालय पुलिस अधीक्षक,
झारखंड पुलिस,
राँची, झारखंड 834001
Email Id: ssp-ranchi@jhpolicen.gov.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलों का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा के समक्ष दिनांक **09/10/2025** को **16:50 HRS**, आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है। आप आयोग द्वारा जांच के लिए संबन्धित दस्तावेज़ अपने साथ लायें।

मामलों का संदर्भ:-

संदर्भ 1 (v) अभ्यावेदकगण श्री सोनू गंडू, ग्राम-विश्रामपुर पो. एवं थाना - खलारी, जिला - राँची (झारखण्ड) से प्राप्त अभ्यावेदन " विश्रामपुर मौजा में अनुसूचित जनजाति के रैयती जमीन का बाहरी लोगों के द्वारा फर्जी खरीद- बिक्री के संबंध में" ।

(vi) उपायुक्त - सह - दंडाधिकारी का कार्यालय, राँची पत्र सं 1903(ii) (विधि) दिनांक 10.05.2025।

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत के कारण के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिये गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक **01/10/2025** को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

मोहर



हस्ताक्षर

[Signature]

न्यायालय अधिकारी

for Court Officer
National Commission for Scheduled Tribes
Government of India
Lok Nayak, Bhawan, New Delhi-110003

Copy to :- NIC for uploading